

20वीं शताब्दी के अन्तिम दशक में घोटाले एवं संयुक्त मोर्चा सरकार

डॉ. कौशलेन्द्र गुप्ता, डॉ. विमलेश निरंजन

सहायक प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, महाराजा मानसिंह महाविद्यालय,
ग्वालियर, मध्यप्रदेश।

संक्षेप

संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा विश्वास प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने, जनता की आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति, विकास कार्यों हेतु संसाधन जुटाने हेतु तथा परमाणु परिसीमन संधि के बारे में राष्ट्रहित एवं सुरक्षा सर्वोपरि रखने के लिये प्रधानमंत्री श्री देवगौड़ा ने घोषणा की। उन्होंने विश्वास दिलाया कि 133 करोड़ रुपये के यूरिया काण्ड के तथ्यों को किसी भी प्रकार से दबाया नहीं जायेगा और सरकार उस मद में अग्रिम भुगतान की वापसी के लिये भरसक प्रयास करेगी।

प्रस्तावना

यह प्रथम अवसर था जब केन्द्र में छोटे और क्षेत्रीय दलों की मिली-जुली सरकार बनी थी। यह संसदीय लोकतन्त्र में नये अध्याय की शुरूआत थी। इससे पूर्व वी.पी.सिंह के नेतृत्व में साझा सरकार बनी थी लेकिन इस सरकार में शामिल घटक दल चुनाव परिणाम आने के बाद एक साथ आये हैं। विश्वास प्रस्ताव पर लगभग 12 घंटे चली चर्चा में पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिंहराव ने घोषणा की कि देवगौड़ा सरकार के साथ हमारा कोई गुप्त समझौता नहीं है, हमारी एक ही सहमति है कि हम अपनी ओर से इस सरकार को गिरने नहीं देंगें। विपक्ष के नेता अटल बिहारी बाजपेयी ने कहा कि कांग्रेस समर्थन से चलने वाली इस सरकार की स्थिरता एवं भ्रष्टाचार से निपटने की उसकी क्षमता पर उन्हें संदेह है।

श्री देवगौड़ा ने चर्चा के दौरान स्पष्ट किया कि जांच कार्य पूर्णतः सी.बी.आई. के निदेशक के संचालन में है। उन्होंने कहा यूरिया काण्ड में अग्रिम भुगतान की

राशि की वापसी के लिये सरकार इन्टरनेशनल चेम्बर ऑफ कॉमर्स में मैसर्स करसन लि. के विरुद्ध पंचाट में मुकदमा दायर करने जा रही है।

प्रधानमंत्री देवगौड़ा ने कहा कि इस कांड को लेकर केन्द्रीय जांच ब्यूरो के जरिये मैसर्स करसन के विरुद्ध इन्टरपोल को भी सतर्क किया गया है। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस कांड में नियमित मामला दर्ज किया है और नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. के प्रबन्ध निदेशक सी.के. रामकृष्णन और पूर्व कार्यकारी निदेशक (विपणन) एस. कंवर को गिरफ्तार किया है।

जांच ब्यूरो ने एम. सम्भाशिव राव को भी गिरफ्तार किया है। विश्वास मत पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता अटल बिहारी बाजपेयी ने इस मामले को काफी प्रमुखता से उठाया था। उन्होंने मांग की थी कि इस प्रकरण में एक ओर किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाना चाहिये चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो एवं 133 करोड़ रुपये वसूले जायें।

श्री देवगौड़ा ने विपक्ष के नेता श्री बाजपेयी की इस टिप्पणी से असहमति जताई कि इस मामले में पूर्व प्रधानमंत्री के पुत्र का हाथ है उन्होंने कहा कि जब तक जांच पूरी न हो तब तक किसी को दोषी ठहराया जाना उचित नहीं है। उन्होंने विस्तार से सदन को जानकारी देते हुये बताया कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. ने दो लाख टन यूरिया के लिये पिछले साल नौ नवम्बर को टर्की की कम्पनी मैसर्स करसन लि. के साथ करार किया था।

इस करार के तहत इस कम्पनी को शत-प्रतिशत राशि का अग्रिम भुगतान होना था और यूरिया की आपूर्ति अग्रिम भुगतान के पांच महीने के भीतर होनी थी। यूरिया की आपूर्ति नहीं होने पर 19 मई को नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. ने टी के दो नागरिकों 'टी. अलकस' और 'चिहन कृसिं' और उनके भारतीय एजेन्ट एम. सम्भाशिव राव तथा डी.एस. कंवर के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो में शिकायत की। उन्होंने कहा कि कैबिनेट सचिव और मुख्य सतर्कता आयुक्त की सलाह के बाद 24 मई को तत्कालीन प्रधानमंत्री को स्वीकृति से रामकृष्ण को प्रबन्ध निदेशक के पद से निलम्बित किया गया था।

प्रधानमंत्री ने सदन को आश्वासन दिया कि देश में यूरिया की कमी नहीं होने दी जायेगी। उन्होंने कहा कि सरकार 'व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि' (सी.टी.बी.टी.) पर देश की सुरक्षा और उसके हितों को सर्वोपरि रखकर सबसे सलाह मशबिरा कर ही अन्तिम फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि वे सभी पक्षों को विश्वास में लेकर सहयोग से राष्ट्रीय समस्याओं को हल करेंगे। उनकी सरकार गांवों में पेयजल, संचार सुविधा, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे समर्थकों की सन्तुष्टि के लिये नहीं वरन् देश की 90 करोड़ जनता की सन्तुष्टि के लिये भरसक प्रयत्न करेंगे।

उन्होंने स्पष्ट किया कि केन्द्र में उनकी सरकार की नीतियां मूलतः वही रहेंगी जोकि कर्नाटक में उनके शासनकाल में लागू की गई थी।

प्रधानमंत्री का मत था कि राजनीति में दूध का धुला होने का दावा करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार राजनीति का एक पहलू है जिसका हल सभी को मिलकर ढूँढ़ना है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य विधानसभा चुनाव शीघ्र कराये जायेंगे। इस प्रस्ताव पर नेता विपक्षी दल श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने अपने भाषण में निम्नलिखित मुद्दे प्रस्तुत किये।

सत्ता का चेहरा नहीं चरित्र बदलना चाहिये –

श्री बाजपेयी 12 दिन पुरानी देवगौड़ा सरकार के विश्वास मत प्रस्ताव पर हुई चर्चा में हिस्सा ले रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले पांच साल से हम घोटालों से जूझते रहे। सत्ता का चेहरा नहीं चरित्र बदलाना चाहिये। यदि स्थाई सरकार भ्रष्ट है तो इससे स्थायित्व नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि हमें यह उम्मीद भी नहीं थी कि सबसे बड़े घोटाले के रूप में यूरिया घोटाला सामने आयेगा। यदि 'बोफोर्स कांड' और 'हवाला कांड' की राशि को भी मिला दिया जाये तो यूरिया घोटाले की राशि इसे मात कर देती है। उन्होंने चेतावनी दी कि यूरिया कांड में दोषी लोगों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जाये और 133 करोड़ रुपये की रकम भी वसूली जाये। उन्होंने कहा कि यह भी अचम्पे की बात है कि बिना किसी गारंटी और बीमे के वित्त मंत्रालय ने इतनी बड़ी राशि के लिये स्वीकृति भी दे दी। उन्होंने जानना चाहा कि इस घोटाले से जुड़े रामकृष्णन, संजीव राव तथा पिंटो कौन है? श्री बाजपेयी ने कहा कि जिनेवा में निरस्त्रीकरण सम्मेलन चल रहा है वहां विदेश सचिव ने कहा कि भारत को सुरक्षा के लिये परमाणु हथियार आवश्यक नहीं है।

उन्होंने जानना चाहा कि अगर भारत को सुरक्षा के लिये परमाणु हथियार आवश्यक नहीं है तो हमने इस बारे में विकल्प क्यों खोल रखा है? इसी दिन अर्थात् 12 जून को केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने झारखण्ड मुक्ति मोर्चा सांसद को रिश्वत देने के मामले में श्री पी.वी. नरसिम्हाराव और उनके साथियों शुक्ल, धवन, सतीश शर्मा, अजित सिंह तथा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल को अभियुक्त बनाते हुये एफ.आई.आर. दर्ज करायी।

झामुमो सांसद रिश्वत कांड में राव व सात अन्य के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज

केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने झारखण्ड मुक्ति मोर्चा सांसद रिश्वत कांड में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश पर पी.वी. नरसिम्हाराव, विद्याचरण शुक्ल, कैप्टन सतीश शर्मा, अजीत सिंह, आर.के. धवन और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल और दो अन्य को अभियुक्त बताया गया है। सी.बी.आई. के सूत्रों ने

बताया इस विषय में उद्योगपति ललित सूरी और झा.मु.मो. के पूर्व सांसद सूरज मण्डल के खिलाफ भी प्राथमिकता दर्ज की गई।

राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा द्वारा दर्ज शिकायत के आधार पर प्राथमिकी में कहा गया है कि जुलाई 1993 में राव सरकार जब अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रही थी उस समय श्री राव ने सांसदों के मत खरीदने बाबत् तीन करोड़ रुपये रिश्वत देने के लिये वी.सी. शुक्ल, आर.के. धवन, अजीत सिंह, कैप्टन सतीश शर्मा, भजनलाल और श्री सूरी के साथ मिलकर आपराधिक साजिश की। राव सरकार ने केवल 14 मतों के अन्तर से 28 जुलाई 1993 को विश्वास मत हासिल किया था। राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के बाद एक स्वयंभू प्रत्यक्षदर्शी भास्कर राव के जरिये हलफनामे में कहा गया कि पी.वी. नरसिम्हाराव के निर्देश पर अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ धन देने के लिये जनता दल तथा झा.मु.मो. के सांसदों को रिश्वत देने के लिये हर्षद मेहता और एस.के. जैन द्वारा विवादास्पद तान्त्रिक चन्द्रास्वामी को 20,30 करोड़ रुपये दिये गये थे।

झारखण्ड मुक्ति मोर्चा में रिश्वत देने के सम्बंध में कांग्रेस अध्यक्ष श्री पी.वी. नरसिम्हाराव के विरुद्ध सी.वी.आई. द्वारा एक एफ.आई.आर. लिखाने पर शिरोमणि अकाली दल ने श्री राव से इस्तीफा देने की मांग की।

उधर रामलखन यादव के पुत्र से गहन पूँछताछ की जा रही है और प्रभाकर राव से भी इसी यूरिया घोटाले में पूँछताछ करने का नोटिस सी.बी.आई. द्वारा दिया गया और 11 जून 1996 को श्री प्रभाकर राव से सी.बी.आई. द्वारा घट्टों पूँछताछ की गई।

यूरिया घोटाले में प्रभाकर राव से पूछताछ –

केन्द्रीय जाँच ब्यूरो (सी.बी.आई.) ने 133 करोड़ रुपये के यूरिया घोटाले के सम्बंध में पी.वी. नरसिंह राव के पुत्र प्रभाकर राव से कई घंटे तक पूँछताछ की। इस घोटाले के एक प्रमुख अभियुक्त सम्बांशिव राव ने इसमें प्रभाकर राव के भी शामिल होने का आरोप लगाया है। पूछताछ में प्रभाकर राव ने घोटाले में लिप्त होने से साफ इन्कार कर दिया।

हैदराबाद के व्यापारी सम्बांशिव राव ने अपने इकवालिया बयान में कहा था कि उन्हें, प्रभाकर राव और पी.वी. नरसिम्हाराव के बड़े बेटे राजेश्वर राव के साले संजीव राव को यूरिया सौदे में 40 लाख डालर की रिश्वत प्राप्त हुई। सरकारी क्षेत्र की कम्पनी 'नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड' तुर्की की कम्पनी 'कर्सन प्राइवेट लिमिटेड' छह महीने से अधिक समय पूर्व चार करोड़ डालर की समूची राशि का अग्रिम भुगतान कर चुकी है, लेकिन अभी तक भारत को यूरिया नहीं दिया गया।

सूत्रों ने बताया कि इस मामले में सरकारी मशीनरी द्वारा जांच कार्य में डिलाई बरतने के आरोप के मद्देनजर केन्द्रीय उर्वरक सचिव इन्द्रजीत चौधरी से भी पूछताछ किये जाने की सम्भावना है।

इसी बीच दिल्ली की एक अदालत ने यूरिया आयात घोटाले तीन मुख्य अभियुक्तों को 14 दिन की न्यायिक हिरावत में आज तिहाड़ जेल भेज दिया। सम्बांशिव राव ने अपने आवेदन में कहा कि यह सारा सौदा एन.एफ.एल. के दो शीर्ष अधिकारियों के सक्रिय सहयोग से तय हुआ।

मोर्चा सरकार राव के घोटाले दबाने में लगी –

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी ने एच.डी. देवगौड़ा सरकार पर आरोप लगाया कि वह झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के सांसदों की खरीद-फरोख्त के मामले में दबाब में आ गई और अब वह यूरिया घोटाले में पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंहराव के परिवार और अधिकारियों को बचाने में लगी है। उन्होंने आगाह किया यूरिया घोटाले के बाद जल्द ही एक चीनी घोटाला सामने आने वाला है।

श्री बाजपेयी ने स्पष्ट कि किया कि संसद में हमारा बहुमत भले ही न हो लेकिन पार्टी किसी भी घोटाले के मामले को दबने नहीं देगी। इसके साथ ही कल्पनाथ राय ने भी अपना वक्तव्य दिया कि, यूरिया घोटाले में नरसिंह राव को बन्दी बनाया जाय।

उन्होंने कहा कि नरसिंह राव के परिवार वालों द्वारा देश में विदेश में अर्जित की गई सम्पत्ति की भी न्यायिक जांच करायी जाये। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बचाने के लिये नरसिंह राव का हटना जरूरी है। सी.बी.आई. ने 19 जून, 1996 को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि – प्रकाश चन्द्र व संजीव राव को एक करोड़ से अधिक रिश्वत मिलने के ठोस सबूत हैं।

सी.बी.आई. ने 133 करोड़ रुपये के यूरिया घोटाले में दोनों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में लिया है तथा कथित हवाला कारोबारी राजेन्द्र बब्बानी तथा धर्मेश यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किये गये। सी.बी.आई. ने अदालत को बताया कि यूरिया घोटाले में प्रकाश चन्द्र यादव को 70 लाख तथा संजीव राव को 32 लाख रुपये हैदराबादमें हवाला कारोबार के माध्यम से दिये गये।

जांच एजेन्सियों ने अदालत को बताया कि 14 करोड़ रुपये की राशि हवाला के माध्यम से भारत लाई गयी और दलालों के रूप में विभिन्न व्यक्तियों के मध्य वितरित की गयी।

सी.बी.आई. सूत्रों ने बताया कि यह राशि विजया बैंक की हैदराबाद ब्रांच से संजीव राव के खाते में चैक जमा करायी गई। पिछले साल नवम्बर—दिसम्बर में नेशनल फर्टिलाइजर लि. के विभिन्न अधिकारियों द्वारा तुर्की की एक कम्पनी से दो लाख टन यूरिया आयात करने की साजिश रची गई थी।

सन्दर्भ

- (1) जैसा मैंने देखा (खण्ड अष्टम) — प्रतापचंद्र आजाद (पवन प्रकाशन, बरेली, 1996)
- (2) वार्ता एवं अन्य एजेंसिया
- (3) जनसत्ता, अमर उजाला एवं अन्य पत्र—पत्रिकाओं के विभिन्न अंक